



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-567/MH/23/2022-ESDW (RU-I)

दिनांक: 28.11.2025

सेवा में,

श्री मोहन सखाराम माली,
उपाध्यक्ष,
आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य,
लोणी खुर्द, तहसील- राहाता, जिला-
अहमदनगर, महाराष्ट्र
ई-मेल: sgabss.mhs@gmail.com

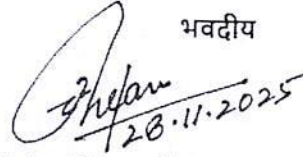
विषय: वनभूमि समूह नं.- 145 और 146 आरक्षित वनों पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर हैं लेकिन उन्हें आज तक भूमि पर उन्हें स्वामित्व नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन करने में समस्याओं के संबंध में श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य, लोणी खुर्द, ता.-राहाता, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 18.12.2025 को अपराहन 11:30 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
- एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।